

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935
No. 155]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

फा. सं. 409-10/2012-एनएसएल-1.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम, 2013

(2013 का 07)

अध्याय—I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना.—(1) इन विनियमों को लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम, 2013 कहा जाएगा।
(2) ये 1 जून, 2013 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “एक्सेस प्रदाता” में बेसिक टेलीफोन सेवा प्रदाता, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता और एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता शामिल हैं;
 - (ख) “अधिनियम” का आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;
 - (ग) “प्राधिकरण” का आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
 - (घ) “प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता” का आशय ऐसे एक्सेस सेवा प्रदाता से है, जिसके नेटवर्क का इस्तेमाल लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) भेजने के लिए किया जाता है;
 - (च) “विनियम” का आशय लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम, 2013 से है;
 - (छ) “समापन एक्सेस प्रदाता” का आशय ऐसे एक्सेस सेवा प्रदाता से है, जिसके नेटवर्क पर लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समाप्त होती हैं।

- (ज) इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का भी वही अर्थ होगा, जो उनके लिए उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय-II

लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए समापन प्रभार

3. लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए समापन प्रभार.—प्रत्येक प्रारम्भिक एक्सेस प्रदाता को, समापन एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क पर उसके द्वारा समाप्त किए गए प्रत्येक लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के लिए समापन एक्सेस प्रदाता को 0.02 रु. (मात्र दो पैसे) के समापन प्रभार का भुगतान करना होगा ;

परन्तु अंतराष्ट्रीय आवक लघु संदेश सेवा (एमएसएस) के लिए समापन प्रभार आस्थगन (फॉर्बेन्स) के अंतर्गत रहेंगे।

राजीव अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/142/137]

टिप्पण :-व्याख्यात्मक ज्ञापन 'लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम, 2013, के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

'लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार विनियम, 2013 (2013 का 07)' पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भादूविप्रा ने दिनांक 24 जनवरी, 2003 के "दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1)" के जरिए दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) की रूपरेखा तैयार की थी। यह विनियम 1 मई, 2003 से प्रवृत्त हुआ था। उस समय वाक् संबंधी प्रभारों पर फोकस किया गया था और लघु संदेश सेवाएं (एसएमएस) समापन प्रभार आस्थगित (फॉर्बेन्स) रखे गए थे।
2. जनवरी, 2003 के विनियम के स्थान पर "दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 4)" लाया गया था, जो 1 फरवरी, 2004 से प्रवृत्त हो गया था। इन विनियमों में एसएमएस के लिए आईयूसी को आस्थगित (फॉर्बेन्स) रखते हुए यह उल्लेख किया गया था कि एसएमएस के लिए आईयूसी पर निकट भविष्य में पुनर्विचार किया जाएगा।
3. भादूविप्रा ने 2006 में किए गए विचार-विमर्श के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस के लिए समापन प्रभारों को विनियमित करने की आवश्यकता और विधि पर हितधारकों की राय मांगी थी। भादूविप्रा ने विचार-विमर्श करने के बाद, 21.08.2006 को यह निर्णय लिया कि एसएमएस के लिए आईयूसी पर आस्थगन(फॉर्बेन्स)को जारी रखा जाए।
4. 2008-09 में आईयूसी विनियम की समीक्षा के दौरान, कुछ सेवा प्रदाताओं ने प्रमुख सेवा प्रदाताओं के द्वारा नए सदस्यों से एसएमएस के लिए अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार, जो लागत आधारित नहीं थे, प्रभारित किए जाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई थी। भादूविप्रा ने टिप्पणी की थी कि सामान्यतः उस समय जो व्यवस्था प्रचलन में थी, वह बिल एंड कीप व्यवस्था थी, जिसमें प्रभार शून्य होता है। इसलिए, दिनांक 09.03.2009 के आईयूसी विनियम में भादूविप्रा ने एसएमएस के लिए आईयूसी के मामले को आस्थगित (फॉर्बेन्स) रखने की नीति को जारी रखने का निश्चय किया, इसके साथ यह परंतुक जोड़ा कि एसएमएस समापन प्रभार, यदि कोई है, पारदर्शी, पारस्परिक और अभेदात्मक होंगे। विनियम की संबंधित अनुसूची IV नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

"अनुसूची IV

लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के लिए

अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के लिए अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)-लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के लिए अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) आस्थगित (फॉर्बेन्स) रहेंगे; परंतु ऐसे प्रभार पारदर्शी, पारस्परिक और अभेदात्मक होंगे।"

5. 09.03.2009 के आईयूसी विनियमों को विभिन्न आधारों पर कुछ ऑपरेटर्स ने दूरसंचार विवाद निवारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसेट) में चुनौती दी थी। माननीय टीडीसेट ने दिनांक 29 सितंबर, 2010 के अपने आदेश के तहत आईयूसी के विभिन्न घटकों पर अपनी टिप्पणियां/निर्देश दिए थे और इस मामले पर नए सिरे से विचार करने और परामर्श प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश के साथ यह मामला भादूविप्रा को दुबारा सौंप दिया था। एसएमएस समापन प्रभार के मुद्दे पर माननीय टीडीसेट द्वारा एसएमएस समापन प्रभार के संबंध में 29 सितंबर, 2010 को दिये गए निर्णय का संगत सारांश नीचे दिया गया है :-

"118. एसएमएस समापन प्रभार

- (1) केवल एतिसालत ने यह दावा किया है कि भादूविप्रा को इसके संबंध में प्रभार निर्धारित करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि आस्थगित (फॉर्बेन्स) करने के मामले को छोड़ते समय यह उम्मीद की गई थी कि सेवा प्रदाता उचित प्रभार वसूल करेंगे और इस तथ्य का ध्यान रखेंगे कि लागत आधारित एसएमएस समापन प्रभार पर कोई परामर्श शुरू नहीं किया गया था।
- (2) अतः हमारा यह मत है कि कुछ सेवा प्रदाताओं के बजाय उपभोक्ताओं के हित में भादूविप्रा को मामले के इस पहलु पर भी विचार करना चाहिए।"
6. माननीय टीडीसेट के दिनांक 29.09.2010 के उक्त निर्णय के विरोध में भादूविप्रा ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 18 के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक सांविधिक सिविल अपील दायर की थी, जिसे 2011 की सिविल अपील संख्या 271-281 के रूप में दर्ज किया गया था।
7. भादूविप्रा ने आईयूसी प्रभारों की समीक्षा करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की थी क्योंकि आईयूसी प्रभार इससे पहले वर्ष 2009 में निर्धारित किए गए थे। भादूविप्रा द्वारा शुरू की गई परामर्श प्रक्रिया में पूर्व परामर्श प्रक्रिया शामिल थी, जो सेवा प्रदाताओं को 24.12.2010 को भेजे गए पत्र के जरिए शुरू की गई थी। पूर्व परामर्श में सेवा प्रदाताओं से अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों की रूपरेखा, घटक, जिनकी समीक्षा की जानी है, गणना करने की विधि और प्रत्येक प्रभार/प्रस्ताव/कार्यपद्धति/मॉडल आदि के स्तर, जिनका इस्तेमाल अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों का अनुमान लगाने में किया जाएगा, के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। उनसे प्रस्तावित प्रस्ताव/कार्यपद्धति को अपनाने के औचित्य के साथ गणना शीट सहित प्रत्येक घटक के स्तर का अनुमान लगाने के लिए विकसित किए गए मॉडल, यदि कोई है, भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्रत्येक सेवा जैसे वाक् सेवा, एसएमएस, जीपीआरएस, ईडीजीई, रोमिंग सेवाओं और प्रत्येक नेटवर्क घटक, केबल्स आदि के संबंध में कोई अन्य मूल्यवर्धित सेवा, उपयोग के मिनट (एमओयू)(ऑफ-नेट/ऑन-नेट), कैपेक्स और ओपेक्स (से संबंधित लागत और राजस्व) की सूचना भी मांगी गई थी।
8. सेवा प्रदाताओं और एसोसिएशनों द्वारा मुद्दा कराई गई सूचना पर विचार करने के बाद दिनांक 27.04.2011 को एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र में विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी। परामर्श पत्र का प्रत्युत्तर देने के लिए हितधारकों को 18.05.2011 तक का समय दिया गया था। 14 सेवा प्रदाताओं, 4 एसोसिएशनों और 8 परामर्श फर्मों/उपभोक्ता समूहों/व्यक्तियों सहित 26 हितधारकों ने लिखित में अपनी टिप्पणियां भेजी थी जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। भादूविप्रा ने दिनांक 27.04.2011 के परामर्श पत्र में एसएमएस के लिए आईयूसी का मुद्दा उठाया था। परामर्श पत्र में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे :-

प्रश्न 3.22

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यवसायिक एसएमएस के लिए निवारक समापन प्रभार लगाए जाने चाहिए? आपकी राय में व्यवसायिक एसएमएस के समापन प्रभार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्तर क्या होगा?

प्रश्न 3.23

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दूसरे प्रकार के एसएमएस (गैर-व्यवसायिक एसएमएस) के लिए बिल एंड कीप की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए? अपने उत्तर का औचित्य साबित करें।

9. जिस समय आईयूसी प्रभार निर्धारित करने का कार्य प्रगति पर था, उस दौरान भादूविप्रा को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तदनुसार, माननीय टीडीसेट के दिए गए निर्देशों में से कुछ का उल्लेख करते हुए इन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि सेवा प्रदाताओं ने भादूविप्रा को धारा 11(1)(ख) (ii), (iii) और (iv) द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से आईयूसी प्रभार निर्धारित करने की उसकी शक्ति को चुनौती दी थी/इस पर सवाल खड़ा किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई, 2011 को निम्नलिखित आदेश दिया था :

"... मामले पर समापन सुनवाई शुरू करने से पहले, यह न्यायालय चाहता है कि विनियामक पूंजी लागत को शामिल करके और पूंजी लागत को शामिल किए बगैर आईयूसी का परिकलन करें। इस मामले में भादूविप्रा, जो मूल प्राधिकरण है, ने विधि/विनियम के मामले पर यह राय व्यक्त की है कि आईयूसी तय करते समय पूंजी लागत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जबकि दूरसंचार विवाद निवारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षिप्त नाम टीडीसेट) की राय इसके विपरीत है और उन्होंने कहा है कि आईयूसी तय करते समय पूंजी लागत को शामिल किया जाना चाहिए। अतः हम चाहते हैं कि विनियामक हमें दोनों आधार पर निकाले गए आईयूसी की गणना के बारे में बताएं अर्थात्, यदि पूंजी लागत को शामिल किया जाए तो आईयूसी क्या होगी और यदि पूंजी लागत को शामिल न किया जाए तो आईयूसी क्या होगी?.....

...यह स्पष्ट किया जाता है कि टीडीसेट द्वारा दिए गए संदेह प्रकट करने वाले निर्णय में उल्लिखित टिप्पणियों से प्रभावित हुए, बगैर विनियामक अपना काम करेगा। विनियामक 31 अक्टूबर, 2011 तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराएगा।

10. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ सेवा प्रदाताओं की यह राय थी कि सभी प्रकार के एसएमएस (व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक) के लिए समापन प्रभार एक स्तर पर निर्धारित किए जाने चाहिए, जिससे समापन ऑपरेटर अपनी लागत वसूल करने के साथ-साथ स्पैम और परेशान करने वाले एसएमएस की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान करने में समर्थ हो सकें। बहरहाल, कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह सुझाव दिया था कि लागतों के आधार पर किसी एसएमएस पर कोई समापन प्रभार लगाने का कोई मामला नहीं है; हालांकि उपभोक्ताओं के हित में भादूविप्रा व्यवसायिक एसएमएस पर कुछ प्रभार लगा है। कुछ सेवा प्रदाता नेटवर्कों के बीच सभी प्रकार के एसएमएस (व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक) के आदान-प्रदान के लिए "बिल एंड कीप" व्यवस्था के पक्ष में थे। इन ऑपरेटरों का यह मत था कि एसएमएस के लिए नियंत्रण, निगरानी की लागत और अंतर-ऑपरेटर बिलिंग स्थापित करने की लागत भारी-भरकम है और इस पर अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा; बिल एंड कीप व्यवस्था ज्यादा आसान है। प्रत्युत्तरों का सार निम्नानुसार है :

- (i) सभी प्रकार के एसएमएस (ए2पी, पी2पी, व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक) के लिए समापन प्रभार एक स्तर पर निर्धारित किए जाएं, जिससे समापन ऑपरेटर अपनी लागत वसूल करने के साथ-साथ स्पैम और परेशान करने वाले एसएमएस की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान करने में समर्थ हो सकें।
- (ii) व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक एसएमएस के समापन प्रभार प्रभारित किए जाएं और ये वाक् समापन प्रभार के अंश/मिन्न के रूप में हो सकते हैं अर्थात् वाक् (मोबाइल) समापन प्रभार का 1/4 (एक चौथाई)।
- (iii) भादूविप्रा को सभी प्रकार के एसएमएस के आदान-प्रदान के लिए "बिल एंड कीप" व्यवस्था के लिए आदेश देना चाहिए और जहां तक स्पैम एसएमएस/अनापेक्षित व्यवसायिक एसएमएस की समस्या का प्रश्न है तो, ऐसे एसएमएस का निवारण करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली, जैसा कि टीसीसीसीपी विनियम में भी उल्लेख किया गया है, का पता लगाया जा सकता है।
- (iv) लागत के आधार पर किसी भी तरह के एसएमएस के लिए कोई प्रभार लगाने का कोई मामला नहीं है। बहरहाल, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए व्यवसायिक एसएमएस की दर 10 पैसा प्रति व्यवसायिक एसएमएस होनी चाहिए।
- (v) "दूरसंचार व्यवसायिक संप्रेषण उपभोक्ता विनियम 2010" द्वारा व्यवसायिक कॉल और एसएमएस के लिए पर्याप्त निवारक उपाय किए गए हैं और इस संबंध में और निवारक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
- (vi) प्राप्तकर्ता नेटवर्कों के सिगनलिंग मार्ग व्यवसायिक एसएमएस के कारण अपेक्षाकृत अधिक व्यस्त रहते हैं।
- (vii) गैर-व्यवसायिक एसएमएस के लिए बिल एंड कीप व्यवस्था से प्रारंभिक ऑपरेटरों के लिए अस्वीकार्य अंतरणन के अवसर प्राप्त होंगे, जो व्यवसायिक ट्रैफिक को रिरूट और परिवर्तन करने के लिए भारी इन्सेंटिव होगा। 10 पैसा प्रति एसएमएस ऐसा स्तर है जो स्पैम के लिए उचित निवारक का काम करेगा। यह कीमत एसएमएस समापन मूल्य-निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से काफी कम है, चाहे ये विनियमित हों या व्यवसायिक सहमति वाली हो।
- (viii) बिल एंड कीप के मौजूदा विनियम को जारी रखा जाए। अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों और लागतों के आधार के दृष्टिगत हमें किसी भी प्रकार के एसएमएस पर समापन प्रभार लगाने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है।
- (ix) व्यवसायिक एसएमएस परेशान करने वाले होते हैं और निवारक समापन प्रभार प्रारंभिक नेटवर्क से व्यवसायिक उद्देश्य से भेजे गए बल्क एसएमएस पर लगाए जाने चाहिए अर्थात् इन्हें कॉल की तरह माना जाना चाहिए।
- (x) ऐसी सेवाएं, जो उपभोक्ताओं द्वारा नापसंद की जाती हैं, पर भारी कर लगाया जाना चाहिए।
- (xi) व्यवसायिक एसएमएस के लिए निवारक समापन प्रभार लगाया जाना चाहिए। व्यवसायिक एसएमएस के लिए समापन प्रभार की दर वाक् कॉल समापन के प्रभार की दर के बराबर रखी जानी चाहिए।

(xii) अधिकांश ऑपरेटरों के पास मौजूद पी2पी एसएमएस ट्रैफिक अपेक्षाकृत अधिक संतुलित होता है।
ट्रैफिक असंतुलन प्रमुखतः ए2पी एसएमएस के कारण होता है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 271-281/ 2011 के संबंध में 29.07.2011 को दिए गए आदेश के अनुपालन में 31.10.2011 को उनके समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चूंकि मोबाइल और फिक्स्ड समापन प्रभार के परिकलन के परिप्रेक्ष्य में पूंजी लागत को शामिल करने का मुद्दा सेवा प्रदाताओं द्वारा माननीय टीडीसेट के समक्ष उठाया गया था इसलिए प्राधिकरण ने पूंजी लागत को शामिल करके और शामिल किए बगैर इन प्रभारों का परिकलन किया और अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एसएमएस के लिए आईयूसी चूंकि आस्थगित(फॉर्बेन्स) रखी गई थी इसलिए एसएमएस समापन प्रभारों के संबंध में लागत निर्धारण पद्धति, लागत डाटा और पूंजी लागत को शामिल करने का माननीय टीडीसेट के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था। एसएमएस समापन प्रभार प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का भी हिस्सा नहीं था।
12. अन्य संबंधित मामलों सहित इस मामले पर अपेक्षाकृत एक बड़ी खंड पीठ ने दिनांक 20.11.2012 से 22.11.2012 तक और 04.12.2012 को सुनवाई की थी जिसमें विधि के सबालों यथा क्या टीडीसेट को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 36(1) के अंतर्गत निर्धारित विनियमों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार, सक्षमता है और क्या यह उसके क्षेत्राधिकार के तहत है, आदि पर सुनवाई की गई थी। बहस पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।
13. इस बीच, भादूविप्रा को कुछ ऑपरेटरों से एसएमएस के लिए विभेदात्मक समापन प्रभार के संबंध के कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि कुछ प्रमुख ऑपरेटरों ने एसएमएस समापन प्रभार के रूप में 10 पैसा प्रति एसएमएस लगाया है, जो कि भेदभावपूर्ण है।
14. एक सेवा प्रदाता ने भादूविप्रा को सूचित किया था कि उसने प्रतिवादी द्वारा एसएमएस समापन के लिए प्रभार लगाने और अपने नेटवर्क की एसएमएस सेवाओं के अंतःसंयोजन को वापस लेने की धमकी के संबंध में एक प्रमुख सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मांग के खिलाफ माननीय टीडीसेट में एक याचिका दायर की है। सेवा प्रदाता ने अपनी याचिका में मनमाने, गैरकानूनी, गलत, एकतरफा और बगैर किसी आधार पर प्रस्तुत मांग (10 पैसे प्रति एसएमएस की दर से एसएमएस समापन प्रभार लागू करने/लगाने के कारण) को अमान्य घोषित करने और इस पर ध्यान न देने का अनुरोध किया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाए कि वह एसएमएस समापन के लिए एकतरफा बढ़ी हुई और थोपी गई मांग के पूरा न होने के कारण, याचिकाकर्ता के नेटवर्क से एसएमएस सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन को वापस न लें।
15. ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता का एक और अभ्यावदन प्राप्त हुआ था कि उनके लंबित वर्तमान विवाद के दौरान ही प्रतिवादी सेवा प्रदाता ने एकतरफा ढंग से कार्यवाई करते हुए दिवाली के सप्ताहांत में उनके नेटवर्क पर एसएमएस सेवाएं बंद कर दी थी और 10 पैसा प्रति एसएमएस पर एसएमएस समापन के लिए अपने साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, उन पर दबाव बनाया था। दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (10वां संशोधन) विनियम, 2009 की अनुसूची IV की व्याख्या और पक्षों के बीच एसएमएस समापन प्रभार पर समझौते की शर्तों के संबंध में टीडीसेट में एक और याचिका दायर की गई थी।
16. माननीय टीडीसेट ने 24.09.2012 को 2011 की याचिका संख्या 130 में और 30.08.2012 को 2011 की अपील संख्या 430 में अपने निर्णय में यह टिप्पणी की थी कि भादूविप्रा के विनियम के अनुसार एसएमएस प्रभार आस्थगन (फॉर्बेन्स) रखे गए हैं, परंतु ऐसे प्रभार पारदर्शी, पारस्परिक और अभेदात्मक होंगे। इन आदेशों में माननीय टीडीसेट ने यह टिप्पणी की थी कि "निर्विवाद रूप से भादूविप्रा ने पूरे मामले में आस्थगन (फॉर्बेन्स) रखा था। मामले के इस दृष्टिकोण से इस बात पर कोई संदेह या विवाद नहीं किया जा सकता कि पक्षों ने कोई द्विपक्षीय समझौता किया है....."
17. हाल ही में एक उपभोक्ता संगठन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 198 दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि कुछ ऑपरेटरों द्वारा समापन प्रभारों के रूप में उनके द्विपक्षीय समझौतों में 10 पैसे प्रति एसएमएस की वसूली पर जोर दिए जाने के कारण एसएमएस के आधार टैरिफ में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऑपरेटर मिलकर भादूविप्रा के उन विनियमों का दोहन कर रहे हैं, जिनमें एसएमएस के लिए टैरिफ को आस्थगित रखा गया था। अतः याचिकाकर्ता, एसएमएस के लिए लागत आधारित टैरिफ और समापन प्रभार निर्धारित करने के संबंध में भादूविप्रा की निष्क्रियता से असंतुष्ट हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सूचना जारी की है, जिसके संबंध में भादूविप्रा को अपना जवाब चार सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना जरूरी है।
18. पिछले एक से दो वर्ष में हुई प्रगति, जिसके परिणामस्वरूप सेक्टर में कई मुकदमों और अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं, के आलोक में प्राधिकरण ने नोट किया है कि एसएमएस समापन प्रभार पर आस्थगन (फॉर्बेन्स) की नीति ने विगत में संतोषजनक ढंग से काम किया है, जब उपभोक्ता द्वारा एसएमएस का सीमित उपयोग किया जाता था। अब बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर व्यवसायिक एसएमएस की संख्या में कई गुना वृद्धि होने के कारण अंतःसंयोजन सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के बीच एसएमएस ट्रैफिक में भारी असंतुलन पैदा हो गया है,

एसएमएस समापन प्रभार के एकतरफा अधिरोपण और समझौता नहीं होने के मामले में, कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा कनेक्शन काटने और सेवा प्रदाताओं के बीच मुकदमेबाजी बढ़ रही है, जिसको देखते हुए प्राधिकरण ने एसएमएस समापन प्रभार की आस्थगन (फॉर्बेन्स) नीति की समीक्षा करने का निश्चय किया है। मार्केट में स्थिरता कायम करने के लिए कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्मित अनिवार्यता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए एसएमएस के लिए लागत पर आधारित समापन प्रभार निर्धारित करना समय की जरूरत बन गई है।

19. अपने परामर्श पत्र के क्रम में प्राधिकरण ने 13.12.2012 के अपने पत्र द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं से एसएमएस समापन प्रभार, एसएमएस समापन मुहैया कराने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क घटक, एसएमएस समापन प्रभार का आकलन करने के लिए लागत डाटा और लागत निर्धारण पद्धति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में पूछा था। कई सेवा प्रदाताओं ने एसएमएस समापन प्रभार के लिए बिल एंड कीप के अपने पुराने दृष्टिकोण को दोहराया है, जिसका उल्लेख वे दिनांक 27.04.2011 के परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणियों में कर चुके हैं। बिल एंड कीप के सुझाव के समर्थन में उन्होंने इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का भी उल्लेख किया है। इन सेवा प्रदाताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि अगर भादूविप्रा एसएमएस समापन प्रभार निर्धारित करने का निर्णय है तो यह पूरी तरह से लागत के आधार पर और यह उनकी प्रस्तुति के अनुसार एक पैसे से कम होना चाहिए।
20. दिनांक 13.12.2012 के पत्र के जवाब में कुछ सेवा प्रदाताओं ने समापन प्रभार निर्धारित करने के लिए नेटवर्क घटक-वार लागत द्विभाजन और लागत अनुमान मॉडल प्रस्तुत किया है। उनकी प्रस्तुति के अनुसार एसएमएस समापन प्रभार की रेंज 0.76 पैसा प्रति एसएमएस से 10.4 पैसा प्रति एसएमएस के बीच होनी चाहिए। एसएमएस समापन प्रभार निर्धारित करने में इन सेवा प्रदाताओं द्वारा इस्तेमाल की गई पद्धति को स्पष्ट करने के लिए, इन्हें भादूविप्रा में आयोजित बैठक में बुलाया गया था। बैठक में इन्होंने एसएमएस समापन प्रभार के अपने लागत मॉडल का प्रदर्शन किया था। कुछ सेवा प्रदाताओं ने अपनी प्रस्तुति में उल्लेख किया था कि एसएमएस समापन प्रभार का निर्धारण करने के लिए भारत में पूर्णतः आबंटित लागत (एफएसी) मॉडल अपनाया जाना चाहिए।
21. सेवा प्रदाताओं में से एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमान में एसएमएस समापन प्रभार 10.4 पैसे प्रति एसएमएस बताया गया था। उनके इस मॉडल में एसएमएस की निर्धारित क्षमता के लिए पूंजी लागत के रूप में उनकी नेटवर्क लागत का 4.4 प्रतिशत और एसएमएस की निर्धारित क्षमता की नेटवर्क प्रचालन लागत के रूप में कुल लागत प्रतिवर्ष का 4.4 प्रतिशत लिया गया है। जब उनसे एसएमएस लागत के लिए कुल लागत के 4.4 प्रतिशत के आबंटन के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो, उन्होंने बताया कि वे भादूविप्रा में दुबारा आएंगे और सूचना, अगर कोई है, मुहैया कराएंगे। सेवा प्रदाता ने कोई और सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
22. एक और सेवा प्रदाता ने एसएमएस समापन प्रभार के रूप में 9.46 पैसा प्रति एसएमएस का अनुमान लगाया है। अपने मॉडल में इसने अपने नेटवर्क पर व्यस्त समय में इरलांग प्रति सैकड़ में कुल एसएमएस ट्रैफिक का अनुमान लगाया है और फिर उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजने में प्रयुक्त विभिन्न नेटवर्क घटकों के लिए अनुमानित लागत प्रति इरलांग के आधार पर एसएमएस समापन प्रभार की गणना की गई है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, सेवा प्रदाता ने भादूविप्रा को एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया था। संशोधित मॉडल के अनुसार, एसएमएस समापन प्रभार 8.34 पैसा प्रति एसएमएस निकाला गया था। इस संशोधित मॉडल में यह उल्लेख किया गया था कि एसडीसीसीएच इरलांग ट्रैफिक को टीसीएच इरलांग ट्रैफिक के समान माना गया है। उनके साथ की गई चर्चा में उन्हें यह बताया गया था कि एसडीसीसीएच इरलांग ट्रैफिक, टीसीएच इरलांग ट्रैफिक के समान नहीं होता है और उनसे अपने पूर्वानुमान के समर्थन में तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सेवा प्रदाता ने अपने इस पूर्वानुमान के समर्थन में कोई और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
23. ऊपर पैरा में वर्णित सेवा प्रदाता ने यह भी कहा था कि वह एसएमएस समापन प्रभार के लिए बिल एंड कीप (बीएंडके) व्यवस्था के खिलाफ है क्योंकि यह न तो लागत आधार और निष्पादित कार्य के सिद्धांतों के अनुरूप है और न ही हानिकारक स्पैम को रोकने के लिए प्रभावी निवारक की तरह काम करता है। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि माननीय टीडीसेट ने दिनांक 29.09.2010 के अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा था कि आईयूसी/एमटीसी लागत आधारित होने चाहिए और इसमें सभी लागतें — कैपेक्स, ओपैक्स और मूल्यहास शामिल किए जाने चाहिए। इसलिए आईयूसी के किसी घटक के लिए बिल एंड कीप (शून्य प्रभार) का विचार प्राधिकरण के लिए आसानी से उपलब्ध विकल्प नहीं रह गया है। इस संबंध में सेवा प्रदाता ने माननीय टीडीसेट का निम्नलिखित पैरा उद्धृत किया है:

"...इसका (भादूविप्रा का) का क्षेत्राधिकार लागत आधारित और निष्पादित कार्य के सिद्धांत पर प्रभार निर्धारित करने के लिए सीमित है....." 101(5)].

"...इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेवा प्रदाताओं को दूसरे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों के लिए क्षतिपूर्ति मुहैया कराई जानी चाहिए।" 114(12)]

24. प्राधिकरण ने पाया है कि वाकू कॉल/डाटा सेवाएं प्रदान करने में प्रयुक्त नेटवर्क एसएमएस भेजने में प्रयुक्त होने वाले नेटवर्क के समान है। इसलिए एसएमएस भेजने के लिए आनुपातिक लागत का आबंटन एसएमएस

25. प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि लागत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: (क) नेटवर्क लागत और (ख) नेटवर्क घटक से इतर लागत; एसएमएस के अनुरूप नेटवर्क लागत को एसएमएस द्वारा नेटवर्क के उपयोग के आधार पर बराबर बांटा जा सकता है। तदनुसार, सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बीटीएस कॉन्फिगरेशन के आधार पर विभिन्न बीटीएस कॉन्फिगरेशन हेतु एसएमएस के लिए आबंटित टाइम स्लॉट की संख्या और एसएमएस का औसत धारित समय (एसडीसीसीएच सैकंड) के आधार पर प्राधिकरण ने अनुबंध-1 के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न बीटीएस कॉन्फिगरेशन वाले ऑपरेटरों के वायरलेस नेटवर्क संसाधनों पर एसएमएस के प्रतिशत अंशदान का अनुमान लगाया है।
26. नेटवर्क लागत से अन्य लागत जैसे प्रशासनिक लागत आदि के संबंध में प्राधिकरण का यह मत है कि यह उचित नहीं होगा कि ऑपरेटरों के वायरलेस संसाधन में एसएमएस के प्रतिशत अंशदान के आधार पर एसएमएस के लिए ऐसी लागतों को आबंटित किया जाए। बहरहाल, इन लागतों को आबंटित करने के लिए अन्य लागत ड्राइवर की व्यक्तिनिष्ठता होगी और सेवा प्रदाताओं द्वारा विवाद खड़ा किया जा सकता है, इसलिए प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि ऐसी लागतें सीधे लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट से ली जाएंगी जो, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएमएस शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं।
27. सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर शीर्ष पांच ऑपरेटरों के परिणामों के सार निम्नानुसार है:—

वायरलैस सेगमेंट (एएसआर 2011-12)							
विवरण	सेवा प्रदाता						उद्योग औसत
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	
प्रयुक्त पूंजी (एएसआर के प्रोफार्मा च के अनुसार-वायरलैस सेगमेंट)	सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत एएसआर डाटा के अनुसार						185392
प्रयुक्त पूंजी पर 15% की दर से प्रतिफल (क)							27809
नेटवर्क घटक परिचालन लागत (मूल्यहास सहित) (एएसआर के प्रोफार्मा ख के अनुसार-वायरलैस सेगमेंट) (ख)							64231
प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह एसएमएस (आउटगोइंग+इन्कमिंग) की औसत संख्या (एम)	103	78	131	30	82	77	81
व्यस्त समय में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस की संख्या [एन=एम/(30*10)]	0.34	0.26	0.44	0.10	0.27	0.26	0.27
एसएमएस के लिए संगत लागत : एसएमएस सेवाओं द्वारा वायरलैस नेटवर्क संसाधनों में % अंशदान (X%) (विनियमों पर व्याख्यात्मक जापान के अनुलग्नक I से परिकल्पित)	0.93%	0.70%	1.19%	0.27%	0.74%	0.70%	0.74%
एसएमएस के लिए लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल (क का X%) (क)							204
नेटवर्क घटक परिचालन लागत (मूल्यहास सहित) (ख का X%) (ख)							472
नेटवर्क घटक से इतर लागत (एएसआर							688

के प्रोफार्मा ख में एसएमएस के लिए किए गए सीधे आबंटन के अनुसार) (ग)	एसएसआर डाटा के आधार पर की गई गणना						
एसएमएस के लिए संगत लागत (क+ख+ग)							1364
एसएमएस की संख्या (आउटगोइंग+इन्कमिंग) (करोड़ में)							83764
प्रति एसएमएस लागत (पैसा)	1.53	1.42	2.53	0.84	1.05	0.77	1.63
12 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस और सरकारी प्रभार जोड़ने के बाद प्रति एसएमएस लागत (पैसा)	1.74	1.42	2.87	0.96	1.20	0.87	1.85

टिप्पणी:

- (i) सेवा प्रदाताओं द्वारा लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट (एसएसआर) में प्रस्तुत की गई सूचना ।
 - (ii) वायरलैस सेगमेंट: नेटवर्क घटक लागत प्रोफार्मा ख के अनुसार है और इसमें मूल्यहास शामिल है ।
 - (iii) नेटवर्क घटक लागत से इतर लागत में प्रशासनिक प्रभार, कर्मचारी लागत, अंशदान प्रभार, अन्य लागत और सहायक कार्य/विभागीय लागत शामिल हैं। इसमें एलएफ, सरकारी प्रभार, बिक्री और विपणन लागत और वित्त प्रभार शामिल नहीं हैं।
 - (iv) भारण (x%) कारक की गणना अनुलग्नक-1 से की गई थी।
 - (v) नेटवर्क घटक से इतर लागत सेवा प्रदाता द्वारा एसएसआर के प्रोफार्मा ख के अनुसार सीधे आबंटित की गई है।
28. सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएसआर में मुहैया कराई गई सूचना गोपनीय है। इसलिए सेवा प्रदाताओं के नाम और उनके द्वारा प्रस्तुत लागत डाटा का उपरोक्त सारणी में उल्लेख नहीं किया गया है। उपर्युक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि एसएमएस समापन प्रभारों की रेंज 0.87 पैसे से 2.87 पैसे के बीच है और उद्योग औसत 1.85 पैसा प्रति एसएमएस है। इस प्रक्रिया में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत वायरलैस नेटवर्क के कुल कोपैक्स को ऑपरेटरों के वायरलैस नेटवर्क संसाधनों पर एसएमएस के प्रतिशत अंशदान के आधार पर उपयुक्त तरीके से विभाजित किया गया है मगर प्रचालन लागत वह ली गई है, जो सेवा प्रदाताओं ने अपनी एसएसआर में प्रस्तुत की है। अगर वायरलैस नेटवर्क का कुल ओपैक्स भी उसी आधार पर विभाजित किया जाता है जिस आधार पर एसएमएस के लिए कोपैक्स आबंटन किया गया है तो, एसएमएस समापन प्रभार 1.1 पैसा होगा।
29. उपरोक्त सारिणी में ऑपरेटर सी का समापन प्रभार 2.87 पैसा प्रति एसएमएस आता है। जांच करने पर यह पाया गया था कि ऑपरेटर सी ने 'नेटवर्क घटकों से इतर लागत' के लिए अपेक्षाकृत काफी उच्च लागत आबंटित की है। अगर इस लागत को उसी तरह से स्थित ऑपरेटर या उद्योग औसत के साथ सामान्य बनाया जाता है, तो इस ऑपरेटर के लिए एसएमएस समापन प्रभार लगभग 1.8 पैसा प्रति मिनट होगा।
30. उपरोक्त समस्त विश्लेषण को ध्यान में रख कर प्राधिकरण ने यह निश्चय किया कि लागत आधारित एसएमएस समापन प्रभार 0.02 रु. (मात्र 2 पैसा) प्रति एसएमएस होगा।
31. कुछ बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने बताया था कि छोटे ऑपरेटर टेलीमार्केटरों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर बल्क एसएमएस बेच रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसे प्रदाताओं द्वारा बल्क एसएमएस की बिक्री के जरिए इस कारण से लाभ कमाया जा रहा है क्योंकि वे हमारे सब्सक्राइबरों को बड़ी संख्या में ए2पी एसएमएस भेजने में समर्थ हैं। चूंकि उनका सब्सक्राइबर आधार ऐसे सेवा प्रदाताओं की तुलना में ज्यादा बड़ा है इसलिए दो नेटवर्कों के बीच भारी ट्रैफिक असंतुलन आ गया है। इन सेवा प्रदाताओं ने आगे यह भी दावा किया है कि इस प्रकार के सेवा प्रदाता, हमारे द्वारा ग्राहक प्राप्त करने और नेटवर्कों का निर्माण करने में किए गए निवेश के कारण लाभ कमा रहे हैं, उनकी राय थी कि उन्हें भी ऐसे लाभ में हिस्सा दिया जाना चाहिए। ऐसे बाहरी मसलों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाता नेटवर्कों के निर्माण में निवेश करना जारी रखें, प्राधिकरण ने पूर्व में दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) में पंजीकृत टेलीमार्केटर द्वारा भेजे गए प्रचारक एसएमएस पर 0.05 रु. का प्रचारक एसएमएस प्रभार निर्धारित किया था। इस कार्य को करते समय प्राधिकरण ने पाया कि प्रचारक एसएमएस के अलावा, ट्रांजेक्शनल एसएमएस के कारण नेटवर्कों के बीच भारी ट्रैफिक असंतुलन है। अतः इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने 0.05 रु. प्रति ट्रांजेक्शनल एसएमएस के रूप में ट्रांजेक्शनल एसएमएस प्रभार निर्धारित करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) में संशोधन कर दिया है।

अनुबंध-1

निम्नलिखित सारिणियों में विभिन्न बीटीएस कॉन्फिगरेशन वाले ऑपरेटरों के वायरलैस संसाधनों पर एसएमएस के प्रतिशत अंशदान की गणना दर्शाई गई है:

क. व्यस्त समय में एसएमएस ट्रैफिक प्रति सब्सक्राइबर				
क्र. सं.	मद	लीजेंड	मूल्य	टिप्पणियां
1	प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह एसएमएस की संख्या	क	81	स्रोत: सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत एसएमएस डाटा: प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह एसएमएस की संख्या (आउटगोइंग+इन्कमिंग)
2	व्यस्त समय में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस की संख्या	$ख=क/(30*10)$	0.27	व्यस्त समय में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस की संख्या = एक माह में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस की संख्या / (महीने में दिनों की संख्या * एक दिन में व्यस्त घंटों की संख्या के बराबर)

ख. व्यस्त समय में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस के कारण एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या				
क्र. सं.	मद	लीजेंड	मूल्य	टिप्पणियां
3	एसएमएस का औसत धारित समय (एसडीसीसीएच सैकंड)	सी	5	सामान्यतः एसडीसीसीएच पर एक एसएमएस को भेजने के लिए 4-5 सैकंड की जरूरत होती है। स्रोत: तकनीकी सूचना बुलेटिन-एसएस7 पर एसएमएस
4	एसएमएस का प्रबंधित धारित समय (एसडीसीसीएच सैकंड)	$डी=सी*1.3$	6.5	बाउंसिंग व्यस्त घंटे के लिए औसत धारित समय के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक का प्रावधान
5	एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या प्रति एसएमएस	$ई=डी/3600$	0.0018	एसडीसीसीएच इरलांग= सैकंड में धारित समय / 3600
6	व्यस्त घंटे में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस के कारण एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या	$एफ=ई*ख$	0.00049	= प्रति एसएमएस एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या * व्यस्त घंटे में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस की संख्या

ग एसडीसीसीएच इरलांग को टीसीएच इरलांग में बदलने के लिए परिवर्तन कारक

क्र. सं.	मद	लीजेंड	मूल्य						टिप्पणियां
1	बीटीएस कॉन्फिगरेशन	जी	2/2/2	3/3/3	4/3/3	4/4/4	6/6/6	8/8/8	जैसा कि सेवा प्रदाता द्वारा उल्लेख किया गया है।
2	एसडीसीसीएच कॉन्फिगरेशन	एच	1/1/1	1/1/1	1/1/1	2/2/2	2/2/2	2/2/2	जैसा कि सेवा प्रदाता द्वारा उल्लेख किया गया है।
3	बीटीएस में ट्रैफिक के लिए टाइम-स्लॉट की संख्या	आई	14/14/14	22/22/22	30/22/22	29/29/29	45/45/45	61/61/61	सेवा प्रदाताओं के साथ की गई चर्चा के अनुसार।
4	प्रति इरलांग टीसीएच (ट्रैफिक) की संख्या	जे	8.2	14.9	17.2	21	35	50.6	इरलांग-2 प्रतिशत जीओएस पर ख सारणी के

									अनुसार तीन सेक्टरों के कॉन्फिगरेशन 4/3/3 के लिए टीसीएच इरलांग की औसत संख्या 17.2 ई है।
5	प्रति सेक्टर एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या	के	2.16	2.16	2.16	6.66	6.66	6.66	इरलांग=0.5 प्रतिशत जीओएस पर ख सारणी के अनुसार (जैसा कि सेवा प्रदाताओं ने उल्लेख किया है: 7 चैनलों के लिए 2.16ई और 14 चैनलों के लिए 6.66ई)
6	प्रति टाइम स्लॉट टीसीएच इरलांग की संख्या	आई=जे/ (सेक्टर में ट्रैफिक के लिए टाइम स्लॉट की संख्या)	0.586	0.677	0.699	0.724	0.791	0.830	=टीसीएच (ट्रैफिक) इरलांग प्रति सेक्टर/2/2/2 कॉन्फिगरेशन में टीसीएच की संख्या प्रति सेक्टर =8.2/14
7	प्रति टाइम स्लॉट एसडीसीसीएच की संख्या	एम=के/ (सेक्टर में एसडीसीसीएच के लिए टाइम स्लॉट की संख्या)	2.16	2.16	2.16	3.33	3.33	3.33	प्रत्येक सेक्टर में एसडीसीसीएच चैनलों के लिए प्रति टाइम स्लॉट
8	एसडीसीसीएच इरलांग को टीसीएच में बदलने के लिए परिवर्तन कारक	एन=एल / एम	0.271	0.314	0.323	0.217	0.228	0.249	2.73 एसडीसीसीएच इरलांग = 0.586 टीसीएच इरलांग => 1 एसडीसीसीएच इरलांग = 0.215 टीसीएच इरलांग

घ कुल भार में एसएमएस का अंशदान %									
क्र. सं.	मद	लीजेंड	मूल्य						टिप्पणियां
9	प्रत्येक सेक्टर में सब्सक्राइबर्स की संख्या	ओ= जे/0.03	273	497	574	700	1187	1687	=प्रति सेक्टर टीसीएच इरलांग की संख्या/0.03 हालांकि प्रति सब्सक्राइबर टीसीएच इरलांग 30 एमई है।
10	प्रत्येक सेक्टर में एसएमएस के लिए व्यस्त समय में सुजित एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या	पी=ओ* एफ	0.133	0.242	0.280	0.341	0.579	0.823	=व्यस्त समय में प्रति सब्सक्राइबर एसएमएस के कारण एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या

									* प्रत्येक सेक्टर में सब्सक्राइबर्स की संख्या
11	प्रत्येक सेक्टर में एसएमएस के लिए सुसज्जित एसडीसीसीएच की संख्या	क्यू= पी/0.6	0.222	0.404	0.467	0.569	0.964	1.371	= प्रत्येक सेक्टर में एसएमएस के लिए व्यस्त घंटे में सृजित एसडीसीसीएच इरलांग की संख्या /0.6 (सेवा प्रदाताओं द्वारा यथा प्रस्तुत उपयोग कारक)
12	प्रत्येक सेक्टर में एसएमएस के लिए टीसीएच इरलांग की समतुल्य संख्या	आर=क्यू* एन	0.060	0.127	0.151	0.124	0.229	0.341	= प्रत्येक सेक्टर में एसएमएस के लिए सुसज्जित एसडीसीसीएच की संख्या* परिवर्तन कारक
13	कुल भार में एसएमएस अंशदान %	एस=100 *आर/जे	0.73%	0.85%	0.88%	0.59%	0.64%	0.67%	=100* प्रति सेक्टर एसएमएस के लिए टीसीएच इरलांग की समतुल्य संख्या / प्रति सेक्टर टीसीएच इरलांग की संख्या
14	एक ऑपरेटर का % बीटीएस मिश्रण	टी	5%	30%	14%	18%	24%	9%	जैसा कि एक सेवा प्रदाता द्वारा दिनांक 08.02.2013 के अपने लागत मॉडल में मुहैया कराया गया है।
15	कुल भार में एसएमएस का अंशदान %	यू=एस*टी	0.74%						कुल भार में एसएमएस के अंशदान % का भारित औसत योग = एसएमएस का अंशदान $\sum$ % * % बीटीएस मिश्रण

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2013

F. No. 409-10/2012-NSL-I----- In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii),(iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

THE SHORT MESSAGE SERVICES (SMS) TERMINATION CHARGES REGULATIONS, 2013

(No. 7 of 2013)

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-- (1) These regulations may be called the Short Message Services (SMS) Termination Charges Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 2013.

2. Definitions. --In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Access Providers" includes the Basic Telephone Service Provider, Cellular Mobile Telephone Service Provider and Unified Access Service Provider;
- (b) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (c) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India;
- (d) "Originating Access Provider" means the Access Service Provider whose network is used for originating the Short Message Services (SMS);
- (e) "regulations" means the Short Message Services (SMS) Termination Charges Regulations, 2013;
- (f) "Terminating Access Provider" means the Access Service Provider on whose network the Short Message Services (SMS) is terminated.
- (g) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the rules and other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations, as the case may be.

CHAPTER-II

TERMINATION CHARGES FOR SHORT MESSAGE SERVICES

- 3. Termination charges for Short Message Services (SMS):**—Every Originating Access Provider shall pay to the Terminating Access Provider a termination charge of Re. 0.02 (paise two only) for each Short Message Service (SMS) terminated by it on the network of Terminating Access Provider;

Provided that termination charges for international incoming Short Message Service (SMS) shall be under forbearance.

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT-III/4/Ext./142/137]

Note.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the 'Short Message Services (SMS) Termination Charges Regulations, 2013.'

EXPLANATORY MEMORANDUM TO 'THE SHORT MESSAGE SERVICES (SMS) TERMINATION CHARGES REGULATIONS, 2013 (7 of 2013)'

1. The framework of Interconnection Usage Charges (IUC) was established by TRAI through "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003 (1 of 2003) dated the 24th January 2003. This regulation was implemented from 1st May 2003. At that time the focus was on voice related charges and Short Message Services (SMS) termination charges were under forbearance.
2. The regulation of January 2003 was superseded by 'The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003)' which became effective from 1st February 2004. While keeping the IUC for SMS under forbearance, in these regulations, it was mentioned that IUC for SMS may be revisited in the near future.
3. TRAI asked the opinion of the stakeholders, inter-alia on the requirement and method of regulating termination charge for SMS, in the consultations carried out in 2006. After deliberations, TRAI decided vide its decision dated 21.08.2006 that the forbearance on IUC for SMS should continue.
4. During the review of the IUC regulation in 2008-09 some of the service providers showed concern on the growing trend amongst the dominant service providers of charging Interconnection Usage Charges for SMS from new entrants which were not cost based. TRAI noted that, by and large, the arrangement prevalent at the time was bill and keep. Therefore, in the IUC regulations dated 09.03.2009, TRAI decided to continue with the policy of forbearance in the matter of IUC for SMS with a proviso that SMS termination charges, if any, should be transparent, reciprocal and non-discriminatory. The relevant Schedule IV of the regulation is reproduced below:

"Schedule IV

INTERCONNECT USAGE CHARGE (IUC) FOR SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)

Interconnect Usage Charge (IUC) for Short Message Service (SMS): Interconnect Usage Charge (IUC) for Short Message Service (SMS) shall be under forbearance:

Provided that such charges shall be transparent, reciprocal and non-discriminatory."

5. The IUC Regulations dated 09.03.2009 were challenged by some operators in Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) on various grounds. Hon'ble TDSAT vide its judgment dated 29th September 2010 gave its observations/directions on various components of IUC and remanded the matter to TRAI with the direction to consider the matter afresh and to complete the consultation process in a time bound manner. On the issue of SMS termination charge the relevant extracts of Hon'ble TDSAT's judgment dated 29th September 2010 regarding SMS termination charge is given below:

"118. SMS TERMINATION CHARGE

- (1) *ETISALAT only raised the contention that TRAI should have exercised its jurisdiction for fixing a charge in respect thereof. It, however, appears that while leaving the matter to forbearance it was expected the service providers to levy a reasonable charge, having regard to the fact that no consultation on cost based SMS Termination Charge had been undertaken.*
 - (2) *We, therefore, are of the opinion, that in the interest of the customers vis-à-vis some of the service providers, the TRAI may consider this aspect of the matter also."*
6. Against the said TDSAT's judgment dated 29.9.2010, TRAI preferred a statutory Civil Appeal before the Hon'ble Supreme Court of India, under section 18 of the TRAI Act, 1997, which was marked as Civil Appeal No.271-281 of 2011.
7. TRAI also initiated a consultation process to review the IUC charges as the IUC charges were earlier determined in the year 2009. The consultation process carried out by TRAI include pre consultation process, which was initiated through a communication sent to service providers on 24.12.2010. In the pre consultation, service providers were requested to furnish information with regard to framework of Interconnection Usage Charges, components to be reviewed, method of calculation and level of each charge, approach/ methodology/ model to be used for estimating Interconnection Usage Charge etc. They were also asked to provide the model, if any, developed for estimating the level of each component with all calculation sheets along with justification for adopting the proposed approach/ methodology. Cost and revenue corresponding to each service like voice service, SMS, GPRS, EDGE, roaming services and any other value added services, minutes of usage (MOU) (off-net/ on-net), CAPEX and OPEX corresponding to each network element, cables etc. were also asked.
8. Taking into consideration the inputs provided by the service providers and associations, a detailed consultation paper was issued on 27.04.2011. The consultation paper sought stakeholders' comments on various aspects. Stakeholders were given time until 18.05.2011 to respond on the consultation paper. 26 stakeholders including 14 service providers, 4 associations and 8 consulting firms/consumer groups/ individuals sent written comments that were uploaded on TRAI's website. The issue of IUC for SMS was raised by TRAI in its consultation paper dated 27.04.2011. In the consultation paper, following issues were raised:
- Question 3.22 Do you agree that a deterrent termination charge should be imposed for commercial SMS? In your view, what would be the most appropriate level of termination charge for commercial SMS?*
- Question 3.23 Do you agree that Bill and Keep regime should be put in place for other types of SMS (non-commercial SMS)? Please provide justification for your response.*
9. While the exercise to determine the IUC Charges was in progress, TRAI confronted several serious difficulties and accordingly filed an Application in the Hon'ble Supreme Court for direction pointing out that by selectively citing observations of the Hon'ble TDSAT, service providers had challenged /questioned TRAI's power to independently determine IUC charges in exercise of its statutory powers conferred u/s. 11(1)(b)(ii), (iii) and (iv). On 29th July, 2011, Hon'ble Supreme Court passed the following order

"... Before taking up the matter for final hearing, this Court would like the Regulator to compute the IUC with the inclusion of capital cost and without inclusion of the capital cost. In this case, the TRAI, which is the original Authority, has taken the view as a matter of law/regulation that capital cost should not be taken into account in the matter of fixation of IUC, whereas the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal [TDSAT], for short] has taken a contrary view saying that the capital cost should be taken into account in the matter of fixation of IUC. Therefore, we want the Regulator to give us the computation of the IUC to be worked out on both the basis, namely, what would be the IUC if capital cost is taken into account and what would be the IUC if the capital cost is not taken into account?..."

...It is made clear that the Regulator will give its working uninfluenced by the observations made in the impugned judgement by the TDSAT. The Regulator will give its working by 31st October, 2011. ..."

10. During the consultation process, some of the service providers were of the view that a termination charge for all types of SMS (commercial as well as non commercial) should be prescribed at a level, which allows the terminating operator to recover their cost as well as successfully address the concerns of SPAM and pesky SMSs. However, some service providers suggested that on the basis of costs there is no case for imposing any termination charges on any SMS; however, for consumer benefits, TRAI may impose some charge on commercial SMS. Some of the service providers favoured "Bill & Keep" basis for exchange of all types of SMS (both commercial and non-commercial) between networks. These operators were of the view that the cost of regulating, monitoring and settling inter-operator billing for SMS is cumbersome and entail unnecessarily administrative cost; the bill and keep regime is simpler. Summary of the responses is as follows:—
 - i. *A termination charge for all types of SMS (A2P, P2P, Commercial as well as non commercial) should be prescribed at a level, which allows the terminating operator to recover their cost as well as successfully address the concerns of SPAM and pesky SMSs.*
 - ii. *Termination of both commercial as well as non commercial SMS should be charged and may be a fraction of the Voice termination charges i.e. 1/4th of the Voice (mobile) termination charges.*
 - iii. *TRAI should mandate "Bill & Keep" basis for exchange of all types of SMS. As far as concerns over SPAM SMS / unsolicited commercial SMSs, alternate mechanisms for deterring such SMSs as envisaged in TCCCP Regulation may be explored.*
 - iv. *On the basis of cost there is no case for imposing charges on any form of SMS. However, for consumer benefit, the rate for commercial SMS could be 10 paise/ commercial SMS.*
 - v. *"THE TELECOM COMMERCIAL COMMUNICATIONS CUSTOMER Regulations 2010" has created sufficient deterrent on commercial calls and SMS and there is no need for a further deterrence on this.*
 - vi. *The signaling paths of the recipient networks are relatively more loaded because of flow of commercial SMS.*
 - vii. *BAK for non commercial SMS will offers unacceptable arbitrage opportunities to originating operators who will have a strong incentive to reroute or disguise commercial traffic. 10 paise per SMS is a level which would act as sufficient deterrent to spam. This price is also well below international benchmarks for SMS termination pricing whether regulated or commercially agreed.*
 - viii. *The current regulation of Bill and Keep should be continued. Considering international practices and costs base, we do not see any reason for imposing termination charges for any type of SMSs.*
 - ix. *Commercial SMS are nuisance and deterrent termination charges must be imposed on bulk SMS sent for commercial purposes from origination network, say the same as a call.*
 - x. *The services that are not welcomed by the subscribers must be heavily taxed.*
 - xi. *A deterrent termination charge should be imposed for commercial SMS. The termination charge for commercial SMS may be kept same as the charges for voice call termination.*
 - xii. *Most of the operators have a relatively balances P2P SMS traffic. The traffic imbalance is primarily on account of A2P SMS.*
11. A report was filed in Hon'ble Supreme court on 31.10.2011 in compliance with its order dated 29.07.2011 in Civil Appeal No. 271-281/ 2011. Since the issue of inclusion of capital cost has been raised by service providers in the context of calculation of Mobile and Fixed Termination Charges before the Hon'ble TDSAT, the Authority has computed these charges including and excluding the capital cost and has submitted the report to this Hon'ble Court. It is relevant to point out here that as IUC for SMS were kept under forbearance, costing methodology, cost data and hence inclusion of the capital cost in respect of the SMS termination charges was not an issue before the Hon'ble TDSAT. SMS termination Charge was also not part of the Report submitted by the Authority to Hon'ble Supreme Court.
12. Matter along with other concerned matters was heard on 20.11.2012 to 22.11.2012 and on 04.12.2012 by the larger bench on the question of law involved namely whether TDSAT has the power, competence and jurisdiction to exercise powers of judicial review, over the regulations framed u/s. 36(1) of the TRAI Act, 1997. Arguments have been completed and judgment reserved.

13. Meanwhile various complaints with regard to discriminatory termination charge for SMS were received in TRAI from some of the operators wherein they have contended that some dominant operators have imposed 10 Paise /SMS as SMS termination charge, which is discriminatory.
14. One Service Provider informed TRAI that it has filed a petition in Hon'ble TDSAT against the demand raised by one of the dominant service provider on account of charging for SMS termination and also against the threat of withdrawal of interconnection of the SMS services of its network by the respondent. The service provider in its petition requested to declare the demand raised (on account implementation/ imposition of SMS termination charge @ 10 paise per SMS) as arbitrary, illegal, wrong, unilateral and without any basis and quash/set aside the same. It also requested to direct the respondent not to withdraw the interconnection for SMS service with the petitioner's networks for non payment of the unilaterally increased and imposed demand for SMS termination.
15. A representation was again received by the abovementioned service provider that pending their ongoing dispute, the respondent service provider has unilaterally disconnected the SMS services to their network over the long Diwali weekend, thereby forcing it to sign an agreement with them for SMS termination at 10 paise per SMS. One more petition was filed in the TDSAT regarding interpretation of Schedule IV of the Telecommunication Interconnection Usage Charges (10th Amendment) Regulations, 2009 and the terms of agreements on SMS termination charge entered into between the parties.
16. Hon'ble TDSAT in its judgment in Petition No. 130 of 2011 on 24.09.2012 and in Petition No.430 of 2011 on 30.08.2012, has observed that as per TRAI's regulation SMS termination charge is under forbearance; provided that such charges shall be transparent, reciprocal and non discriminatory. In these orders Hon'ble TDSAT observed that "Indisputably, the TRAI had prescribed forbearance throughout. In that view of the matter, there cannot be doubt or dispute that the parties could enter into any bilateral contract....."
17. Recently a Writ Petition (Civil) No. 198 of 2013 was filed by a Consumer Organisation before Hon'ble Supreme Court. The Petitioner contended that levy of 10 Paise per SMS insisted by certain operators in their bilateral agreements under the guise of termination charges is responsible for increasing the base tariff of SMS many fold. As per the petitioner, the operators are jointly exploiting TRAI's regulations that had kept the tariffs for SMS under forbearance. The petitioner is therefore aggrieved by TRAI's inaction on fixing the cost based tariffs and termination charges for SMSs. Hon'ble Supreme Court has issued notice in which TRAI is required to file its reply within four weeks.
18. In the light of developments in last one to two years, which has resulted in a number of litigations and uncertainty in the sector, the Authority noted that the policy of forbearance on SMS termination charge has worked satisfactorily in the past when the use of SMS by the subscriber was limited. In the changed circumstances especially due to exponential increase in the number of commercial SMSs, large imbalance in SMS traffic between the networks of interconnecting service provider, unilateral imposition of SMS termination charge and in case of non agreement, disconnection by some dominant service providers and growing litigations amongst the service providers, the Authority has decided to review the policy of forbearance in SMS termination charges. In order to create certainty in the market, exigencies created by certain dominant players and in order to protect the interests of the consumers, prescribing cost based termination charges for SMS has also become need of the hour.
19. In continuation to its consultation paper, the Authority vide its letter dated 13.12.2012, also asked all the service providers regarding the international practices with regard to SMS termination charge, network element used for providing SMS termination, cost data and costing methodology for estimating SMS termination charge. Many of the service providers have reiterated their stand of Bill and Keep for SMS termination charge as they have submitted in their comments on the consultation paper dated 27.04.2011. In support of their suggestion of Bill and Keep, they have also submitted international practices in this regard. These service providers have submitted that in case, TRAI decides to prescribe SMS termination charge, it should be strictly on the basis of cost and according to their submission it should be less than 1 paise.
20. In response to the letter dated 13.12.2012, some of the service providers submitted network element wise cost bifurcation and cost estimation model for determination of SMS termination charge. According to their submissions the SMS termination charge ranges from 0.76 paise per SMS to 10.4 Paise per SMS. These service providers were called for meeting in TRAI to explain the costing methodology used by them for estimating SMS termination charge. During the meeting they showed their cost model estimating SMS termination charge. Some of the service providers in their submission stated that Fully Allocated Cost (FAC) model should be adopted in India for determining SMS termination charge.

21. In the estimation submitted by one of the service providers, the SMS termination charge was worked out as 10.4 paise per SMS. In its model, it has taken 4.4% of their network cost as capital cost for earmarked capacity for SMS and also 4.4% of total cost per year as network operating cost of earmarked capacity for SMS. When asked to explain the rationale behind allocation of 4.4% of total cost towards SMS cost, it stated that it will revert to TRAI and provide requisite information if any. The service provider has not submitted any further information.
22. Another service provider has estimated the SMS termination charge as 9.46 paise per SMS. In its model it has estimated total SMS traffic in Erlang per site in busy hour for their network and then based on estimated cost per Erlang for different network elements used in delivering SMS to the consumer, calculated the SMS termination charge. After an extensive discussions, the service provider submitted a revised model to TRAI. As per the revised model, the SMS termination charge comes out to be 8.34 paise per SMS. In this revised model, the SDCCH Erlang traffic was assumed to be same as TCH Erlang traffic. In the discussions with them, it was pointed out that the SDCCH Erlang traffic is not equal to the TCH Erlang traffic and it was asked to provide technical documents to support this assumption. The service provider has not submitted any documents further to support their assumption.
23. The service provider referred in above para also submitted that they are against Bill and Keep (B&K) approach for SMS termination charge since it is neither consistent with the principles of cost base and work done nor an effective deterrent to control the menace of spam. In this regard they have submitted that Hon'ble TDSAT vide its judgement dated 29.09.2010, clearly stated that IUC /MTC should be cost based and include all cost- CAPEX, OPEX and depreciation. Hence the consideration of Bill and Keep (nil charge) for any component of IUC is simply no longer an option available to the Authority. In this regard the service provider quoted following para of Hon'ble TDSAT:
"...Its (TRAI's) jurisdiction being limited to determine the charges on cost based and work done principle...." [101(5)].
"...It is not in controversy that the service providers are required to be compensated for the resources used by other service providers." [114(12)]
24. The Authority observed that the network used for delivering voice calls/ data services is the same for delivering SMS also. Therefore, allocation of proportionate cost for delivery of SMS plays an important role while estimating SMS termination charge. Variation in different cost models is also because of allocation of different proportion of the cost towards SMS termination charge by different service providers. Even in Accounting Separation Report (ASR), service providers have used different cost driver for allocation of cost towards SMS which has led to wide variation among service providers on SMS termination charges.
25. The Authority noted that cost can be divided into two parts: (a) network cost and (b) cost other than network element; network cost corresponding to SMS can be proportionate on the basis of network usage by SMSs. Accordingly on the basis of BTS configuration, number of time slot allocated for SMSs for different BTS configuration, average holding time of SMS (SDCCH seconds) submitted by the service providers, the Authority has estimated percentage Contribution of SMS on wireless network resources of the operators with various BTS configurations for all service providers, as per **Annexure 1**.
26. With regard to cost other than network cost like administrative cost etc., the Authority is of the opinion that it may not be appropriate that such costs also be allocated towards SMSs on the basis of % contribution of SMS in the wireless resource of operators. However, as any other cost driver for allocation of these costs will have subjectivity and may be contested by service providers, the Authority decided that such cost may be taken directly from the Accounting Separation Report as submitted by various service providers under the head of SMS.
27. The summary of results of top five operators on the basis of subscriber base are as follows:

WIRELESS SEGMENT (ASR 2011-12)							(Rs. in crore)
Particulars	Service Providers						Industry average
	A	B	C	D	E	F	
Capital Employed (As per Proforma F of ASR – Wireless Segment)							185392
Return on Capital Employed @ 15% (A)	As per ASR data submitted by service providers						27809

Network Element Operating Cost (including Depreciation) (As per Proforma B of ASR - Wireless Segment) (B)							64231
Average number of SMS (outgoing + incoming) per subscriber per month (m)	103	78	131	30	82	77	81
No. of SMS per subs in a busy hour ($n=m/(30*10)$)	0.34	0.26	0.44	0.10	0.27	0.26	0.27
Relevant Cost to SMS : % contribution on Wireless Network Resources by SMS services (x%) (calculated from Annexure I of Explanatory Memorandum of Regulations)	0.93%	0.70%	1.19%	0.27%	0.74%	0.70%	0.74%
Return on Capital Employed for SMS (x% of A) (a)	Calculation based on ASR data						204
Network Element operating Cost for SMS (including Depreciation) (x% of B) (b)							472
Cost other than Network Element Cost (As per directly allocated to SMS segment in Proforma B of ASR) (c)							688
Relevant Cost to SMS (a+b+c)							1364
Number of SMS (O/G + I/C) (in crore)							83764
Cost per SMS (Paissa)	1.53	1.42	2.53	0.84	1.05	0.77	1.63
Cost per SMS (Paissa) after Loading License Fee and Govt Charges @ 12%	1.74	1.42	2.87	0.96	1.20	0.87	1.85

Note:

- (i) Information submitted by service providers in Accounting Separation Report (ASR)
- (ii) Wireless Segment: Network Element Cost is as per Proforma B and also includes depreciation
- (iii) Cost other than Network Element Cost includes Admn Cost, Employees cost, Maintenance cost, Other cost and Support Functions/ Deptt cost. It does not include LF, Govt. Charges, Sales & Marketing cost and Finance Charges.
- (iv) Loading (x%) factor was calculated from Annexure-I.
- (v) Cost Other than Network Element are as directly allocated to SMS Service by Service Providers in Proforma B of ASR.

28. The information furnished by service providers in ASR is confidential. Therefore, name of the service providers and cost data submitted by them are not mentioned in the above table. From the above table, it may be seen that the SMS termination charge varies from 0.87 paissa to 2.87 paissa and the Industry average is 1.85 paissa per SMS. In this exercise, total CAPEX of wireless network submitted by the service providers has been suitably apportioned on the basis of percentage Contribution of SMS on wireless network resources of the operators but the operational cost has been taken as submitted by the service providers in their ASR. In case, the total OPEX of wireless network is also apportioned on the same basis as used for CAPEX allocation towards SMS, the SMS termination charge comes out to be 1.1 Paissa.

2303 GI/13-5

29. In the above Table, the cost of termination charge of operator C comes 2.87 paise per SMS. On examination, it was observed that operator C has allocated relatively very high cost towards 'cost other than network elements'. If this cost is normalized either with the similarly situated operator or with the industry average, SMS termination charge for this operator works out to be around 1.8 paise per minute.
30. Keeping in view all the above analysis the Authority decided that cost based SMS termination charge should be Re. 0.02 (Paise 2 only) per SMS.
31. Some of the large Telecom Service Providers (TSP) submitted that the smaller operators are selling bulk SMSs to the telemarketers at comparatively cheap price. Their contention is that the revenue earned by such service providers through the sale of bulk SMS is primarily because they are able to send large number of A2P SMS to their subscribers. As their subscriber base is large compared to the subscriber base of such service providers, there is a substantial traffic imbalance between the two networks. These service providers further contended that as such service providers are earning revenue because of the investment done by them for acquiring customers and building the networks, in their opinion they should also be given a part of such revenue. To take care of such externalities and to ensure that the service providers continue to invest in building up the networks, the Authority had earlier prescribed a promotional SMS charge of Re.0.05 on promotional SMS sent by registered telemarketer in the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010). While doing this exercise, the Authority has observed that apart from promotional SMSs, there is a large traffic imbalance between different networks on account of transactional SMSs also. Hence, with these amendments, the Authority has also simultaneously amended the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) to prescribe a transactional SMS charge of Re.0.05 per transactional SMS.

Annexure-I

Following tables calculate % contribution of SMS on wireless network resources of the operators with various BTS configurations:

A. SMS Traffic per subscriber in busy hour				
S.No.	Item	Legend	Value	Remarks
1	No. of SMS per subscriber per month	a	81	Source: SMS Data submitted by service providers: No. of SMS per subscriber per month (outgoing+ incoming)
2	No. of SMS per subscriber in a busy hour	$b=a/(30*10)$	0.27	No. of SMS per subscriber in a busy hour= No. of SMS per subscriber in a month/ (No. of days in a month *Equivalent no. of busy hours in a day)

B. No. of SDCCH Erlang due to SMS per subs in a busy hour				
S.No.	Item	Legend	Value	Remarks
3	Average holding time of SMS (SDCCH seconds)	c	5	Generally 4-5 seconds are required to transmit an SMS across the SDCCH. Source: Technical Information Bulletin-SMS over SS7.
4	Provisioned holding time of SMS (SDCCH seconds)	$d=c*1.3$	6.5	Provision of 30% more than average holding time is taken to cater for bouncing busy hour.
5	No. of SDCCH Erlang per SMS	$e=d/3600$	0.0018	SDCCH Erlang = Holding time in second / 3600
6	No. of SDCCH Erlang due to SMS per subscriber in a busy hour	$f=e*b$	0.00049	= No. of SDCCH Erlang per SMS * No. of SMS per subscriber in a busy hour

C Conversion Factor for SDCCH Erlang to TCH Erlang

S.No.	Item	Legend	Value						Remarks
1	BTS Configuration	g	2/2/2	3/3/3	4/3/3	4/4/4	6/6/6	8/8/8	As submitted by service provider
2	SDCCH Configuration	h	1/1/1	1/1/1	1/1/1	2/2/2	2/2/2	2/2/2	As submitted by service provider
3	No. of time-slots for traffic in a BTS	i	14/14/14	22/22/22	30/22/22	29/29/29	45/45/45	61/61/61	As per Discussion with service providers
4	No. of TCH (Traffic) Erlangs per sector	j	8.2	14.9	17.2	21	35.6	50.6	As per Erlang-B table at 2% GOS The average number of TCH Erlang for the Configuration 4/3/3 of the three sectors is 17.2E.
5	No. of SDCCH Erlangs per sector	k	2.16	2.16	2.16	6.66	6.66	6.66	As per Erlang-B table at 0.5% GOS (As submitted by the service providers: 2.16E for 7 channels and 6.66E for 14 channels)
6	No. of TCH Erlangs per time slot	$l=j/(\text{No. of time slots for traffic in a sector})$	0.586	0.677	0.699	0.724	0.791	0.830	=TCH (Traffic) Erlangs per sector/ No. of TCH per sector in 2/2/2 configuration =8.2/14
7	No. of SDCCH Erlangs per time slot	$m=k/(\text{No. of time slots for SDCCH in a sector})$	2.16	2.16	2.16	3.33	3.33	3.33	Per time slot for SDCCH channels in each sector.
8	Conversion Factor for SDCCH Erlang to TCH Erlang	$n=l/m$	0.271	0.314	0.323	0.217	0.238	0.249	2.73 SDCCH Erlangs = 0.586 TCH Erlang => 1 SDCCH Erlang = 0.215 TCH Erlang

D % Contribution of SMS in total load

S.No.	Item	Legend	Value						Remarks
9	No. of Subscribers in each sector	$o=j/0.03$	273	497	574	700	1187	1687	=No. of TCH Erlangs per sector/ 0.03. Since TCH Erlangs per subscriber is 30 mE.
10	No. of SDCCH Erlangs generated in a busy hour for SMSs in each sector	$p=o*f$	0.133	0.242	0.280	0.341	0.579	0.823	=No. of SDCCH Erlangs due to SMS per subs in busy hour * No. of Subscribers in each sector
11	No. of SDDCH Erlangs equipped for SMSs in each sector	$q=p/0.6$	0.222	0.404	0.467	0.569	0.964	1.371	=No. of SDCCH Erlangs generated in busy hour for SMSs in each sector/0.6 (Utilization factor as submitted by service providers)
12	Equivalent no. of TCH Erlangs for SMS in each sector	$r=q*n$	0.060	0.127	0.151	0.124	0.229	0.341	=No. of SDDCH Erlangs equipped for SMSs in each sector*conversion factor
13	% contribution of SMS in the total load	$s=100*r/j$	0.73%	0.85%	0.88%	0.59%	0.64%	0.67%	=100*Equivalent TCH Erlangs for SMSs per sector/ No. of TCH Erlangs per sector

14	%BTS Mix of one operator	t	5%	30%	14%	18%	24%	9%	As provided by one service provider in its cost model dated 08.02.2013
15	% Contribution of SMS in the total load	u=s*t	0.74%						Weighted average sum of % contribution of SMS in the total load = $\sum$ % contribution of SMS * % BTS Mix